

क्रमांक /  / रथा. / 2022

लाल बहादुर नगर, दिनांक 23/6/22

आचार संहिता :-

प्रत्येक छात्र को ध्यान रखना होगा कि उनके आचरण से महाविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं कीर्ति में निरंतर वृद्धि हो। अनुशासन का सदा पालन करें। कभी भी अश्लील या अशोभनीय व्यवहार न करें। धुम्रपान एवं मादक पदार्थों का सेवन वर्जित है। कॉलेज की संपत्ति भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की सुरक्षा प्रत्येक छात्र का दायित्व है। आंदोलन हिन्दा, आंतक आदि द्वारा किसी समरया का हल न निकालें अपितु उन्हें गुरुजन अथवा प्राचार्य के समक्ष विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत करें। दलगत राजनीतिक दलों अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से हरतक्षेप नहीं करेंगे। छात्र अध्ययन एवं पाठ्येतर कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेगा तथा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग दुराचार माना जायेगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं अनुशासन का पालन आवश्यक होगा। उन नियमों के भंग होने पर छात्र/छात्रा को कॉलेज से निष्कासित किया जा सकेगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी।

सामान्य नियम :-

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थीयों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इसका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालिन वेशभूषा में विद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा। साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येतर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय व्यवहार का प्रयोग, गाली-गलौंच मारपीट या अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता व भ्राता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय को स्वच्छ बनाए रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है वह सरल निव्यस्तन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन वर्जित है।

7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सकत मना है। विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

8. अपनी मांगों का प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा या आंतक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलंगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं तथा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।

9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम :-

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी।

2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा।

3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पालन करेगा, उसे निर्धारित संरच्चा में ही पुस्तके प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दंड देना होगा।

4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाइयों के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन करेगा।

5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशाला या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्निचर, फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम :-

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

2. अखंक वश आंतरिक परीक्षाओं सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सालय से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा।

3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम-2001 के अनुसार रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

3. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निररत कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जावेगा। महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उनके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति सम्मुख रखेंगे।

बुक बैंक :-

महाविद्यालय में निर्धन एवं प्रतिभाशाली छात्रों के लिए बुक बैंक की सुविधा है परीक्षा अवधि के लिए पुस्तकों का डेढ गुना मूल्य जमा कर पुस्तकें ली जा सकती है।

विशेष :-

1. महाविद्यालय में उत्पन्न किसी भी समस्या व मामले पर प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

2. प्रवेश के नियमों में छ.ग. शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

महाविद्यालय के रोजगार उपयोगी उपक्रम :-

1. बी. कॉम. कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन संभावित है।

विशेष :- महाविद्यालय में रोजगार मार्गदर्शक विभाग कार्यरत हैं जिसके द्वारा छात्रों को समय-समय पर रिक्त पदों की जानकारी तथा प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी एवं दिशा निर्देश दिया जाता है।



प्राचार्य PA
Govt. Kunj Bihari Choubey
Mahavidyalaya, Lal Bahadur Shastri
District - Rajnandgaon (C.G.)

महाविद्यालय : वर्गीकरण, संगठन एवं पदवार कार्य

प्राचार्य मार्गदर्शिका [95]

[संदर्भ: मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग क्रमांक 1462/म.शि.स./स्था. भोपाल,
दिनांक 13 मई 1983]

The State Government are pleased to order that at the end of this Department Memo No. 6067/3917/XX-V/75, dated 12-8-1975 the following para may be added:—

"In case the Principal does not consider it proper to entrust certain duties and functions to the Registrars, prior approval of State Government will be necessary."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
Dr. R. M. GOYAL, Under Secy.

[Source : Education Deptt. Govt. of Madhya Pradesh No. 4722/1010/XX-V/
76, dated 8th June 1976]

शासकीय महाविद्यालयों में अराजपत्रित पद*

14 तृतीय श्रेणी कर्मचारी

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 4 और मध्यप्रदेश मिशन सेवा (वर्गीकरण, नियवण एवं अपील) नियम, 1996 के नियम 4 के अनुसार, राज्य मिशन सेवाएं तृतीय श्रेणी के (क) लिपिकीय एवं (ख) अलिपिकीय दो उप-श्रेणियों में विभक्त कर्य होता है।

14 (क) लिपिकीय श्रेणी

इस श्रेणी में सामान्यतः सहायक, लेखापाल और अन्य सामान्य कार्यालयीन स्टाफ मुम्मालत होता है। ये कर्मचारी मुख्यतः लिपिकीय कार्य करते हैं। कार्यालयीन पत्राचार का आधार प्रारूप (Draft) तैयार करना, वित्तीय कार्यों का लेखा रखना और अन्य सहायक कार्यालयीन शब्द, इस श्रेणी के शासकीय सेवक करते हैं। विभाग के हित में, उच्च अधिकारी द्वारा आदेशित होने वाले विभागीय और कार्यालयीन कार्य करना भी इस श्रेणी के कर्मचारियों का दायित्व है। किसी इनाम के सम्बन्ध में निर्धारित कार्य-विधि के अनुरूप टिप्पण अथवा नोट (शीट) तैयार करना, हिन्दूमं पूर्वोदाहरण, पूर्ण निर्णय, सम्बन्धित नियम को सम्मिलित किया गया है। कार्यालयीन महावक (पूर्व में लिपिक) लिपिकीय कार्य में प्रशंसित एवं दश होते हैं। ये कर्मचारी कार्यालयीन कार्यपद्धति के जानकारी और सामान्यतः लेखा परीक्षा पास और टक्कण कार्य में निपुण होते हैं। वे अब द्वारा तैयार किए गए पत्र, देयकों, दावों आदि की प्रमाणिकता के लिए यथास्थान अपने लक्जु दस्तावेज़ करते हैं।

महावक, अपने अधिकारी द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में नियम के अनुरूप दृष्टिकोण प्रस्तुत

* अधिकारी द्वारा में तृतीय श्रेणी के पाते की सूची के तहत देखिए— "मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी कर्मचारी सेवा मिशन सेवा नियम (अप्रवर्तित) नियम 1977" विभाग संचालन मिशन अनुसूची क्रमांक 1 (ब) नियम

4 इक्के 5

महाविद्यालय अधिकारी एवं नियमों का संकलन, 1980 (पृष्ठ 5-6)

PRINCIPAL

Govt. Kunj Bihari Choubey PRINCIPAL
Mahavidyalaya, Lal Bahadur Naga Govt. Kunj Bihari Choubey
Distt - Raigarh (C) Mahavidyalaya Banadur Naga
Distt - Raigarh (C)

6] प्राचार्य यागदेशिका

करते हुए निर्विकर टीप प्रस्तुत करते हैं। परन्तु उस पर निर्णय लेने में सम्झौता नहीं होते हैं। किसी प्रकरण में नियमानुसार निर्णय लेने और उस पर आदेश जारी करने के लिए शासन ने अधिकारी (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) को ही प्राधिकृत किया है।

14 (ख) अलिपिकीय श्रेणी/तकनीकी स्टाफ

तृतीय श्रेणी के ये कर्मचारी, विभाग विशेष (उच्च लिपि) के विभागीय कार्य के विशेषज्ञ, प्रशिक्षित और तकनीकी प्रकृति के कर्मचारी होते हैं। प्रयोगशाला तकनीशियन, बैटन, गैस-माइनर, टक्सीडामिटर, ग्लास-ब्लॉअर, डेलवर्ट्रॉशियन, एंजियम-कीपर आदि प्रयोगशाला, आगे के भाग में, महाविद्यालय में स्वीकृत कुछ प्रमुख तृतीय श्रेणी के पदों का विवरण तथा उनके सामान्य कार्यों का उल्लेख किया गया है।

14 (क) लिपिकीय श्रेणी कर्मचारी^१ एवं उनके कार्य सहायक, सहायक ग्रेड II, सहायक III के कार्य (पूर्व में उच्च श्रेणी एवं निम्न श्रेणी लिपिक)

/स्रोत : प्राचार्य दिवदेशिका, 1987, पृष्ठ 23।

“कर्मचालिय के अन्य लिपिकीय कार्यों के सम्बन्धन के लिए तथा लेखापात्र एवं मुख्य लिपिक द्वारा समय-समय पर सारे कार्यों के सम्बन्धन होते, उच्च श्रेणी तथा निम्न श्रेणी लिपिकों के पद निर्मित होते हैं।”

[प्राचार्य दिवदेशिका, 1987 एवं पृ. 23 का प्रूत पाठ नोंच।]

उच्च श्रेणी लिपिक एवं निम्न श्रेणी लिपिक को प्राचार्य, मुख्य लिपिक तथा लेखापात्र द्वारा (जहाँ गोपनीय हो), मुख्य लिपिक से विचार-विमर्श करना चाहिए। प्राचार्य को गोपनीय से सौंपा जाना चाहिए। इस बोर्ड में निर्णय लेना चाहिए। प्राचार्य श्रेणी लिपिकों को साथ लिपिक कार्य भी लिपिकों को सांपा जाता है।

प्राचार्य को गोपनीय/सहायक I (मुख्य लिपिक) से विचार-विमर्श कर, इन सहायकों को कार्यालय और महाविद्यालय के अन्य कार्य सौंपना चाहिए।

प्राचार्यालय : कार्यालय, संगठन एवं पदवार कार्य

3. तृतीय एवं

4. प्रालैन : ले-


कैश-बुकों
लिपिक द्वा


प्रशिक्षा सा-


नियमान चारों


प्राचार्य एवं
प्रालैन कर-



**Dr. KANTI BHAI
RAV CHOUDHURY**



LAI BAHADUR NAG



C.C. JOSHI


RAMANAND DUTT


**GOVT. KANTI BHAI
RAV CHOUDHURY**


MAHAVIDYALAYA, LAL BAHADUR NAGAR


CENTRAL INSTITUTE OF ENGLISH LANGUAGE


CENTRAL INSTITUTE OF ENGLISH LANGUAGE

ा, संगठन एवं पदवार कार्य
में सहम नहीं होते हैं। किसी
के लिए शासन ने अधिकारी

गोय कार्य के विशेषज्ञ,
नीशिवन, मैट्टन, गैस-
कोपर आदि प्रयोगशाला,
लघुक होते हैं।
की के पदों का विवरण तथा

वापाल एवं मुख्य लिपिक
गोलिपिकों के पद निर्भत

क (1) लेखापाल द्वारा
प्राचार्य को रजिस्ट्रार से
गोलिय का कौन-सा कार्य

साथ टाइपिंग आदि का
कर, इन सहायकों को

च

ह मुख्य लिपिक ही

और सेवा पुस्तिका,
मान्यता होते होते हैं।

संकलन", 1996, पुनः

बहविद्यालय : वार्गिकरण, संगठन एवं पदवार कार्य

प्राचार्य मार्गदर्शिका [97]

3. तृतीय एवं चतुर्थ ब्रेणी कर्मचारियों के कार्यों का विभाजन तथा उनका नियन्त्रण करना।
4. भूलतः लेखा कार्यों का प्रभारी मुख्य लिपिक को ही माना जाता है जिसके अन्तर्गत कैश-बुकों तथा लेखा-रजिस्टरों में अकित प्रविष्टियों को जांच और प्रमाणीकरण मुख्य लिपिक द्वारा ही किया जाना चाहिए।
5. परीक्षा सम्बन्धी प्रबन्ध एवं लेखीय कार्यों में भी मुख्य लिपिक को सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए।
6. प्राचार्य एवं रजिस्ट्रार (यदि पदस्थ हो तो) के द्वारा समय-समय पर दिये निर्देशों का पालन करना।
7. मुख्य लिपिक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्था के कार्यालय में प्रशासनिक नियन्त्रण के साथ अनुशासन, शिष्टाचार और शालीनता का वातावरण बना रहे।
8. संस्था में पानी एवं विजली प्रणाली को व्यवस्थित रखने के साथ महाविद्यालयीन फर्नीचर, भवन एवं परिसर के रख-रखाव, सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था करना।
9. महाविद्यालय की शैक्षिक तथा पाठ्येतर गतिविधियों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में प्राचार्य तथा विभिन्न प्रभारी अधिकारियों को सक्रिय सहयोग देना भी मुख्य लिपिक के कर्तव्य शेष में आता है।
10. मुख्य लिपिक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके अधीनस्थ कर्मचारी पूर्णतः कार्यरत हैं और वे अपना-अपना काम ठीक तरह से और परिष्मपुर्वक करते हैं। पुणी फाइल और कागज जमा न हो जाए इसके लिए अधीक्षक या मुख्य लिपिक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या के अनुसार उनकी मेजों का इस प्रकार निरीक्षण करना चाहिए कि माह में अद्यवा छह सप्ताह में कम-से-कम एक बार प्रत्येक मेज का निरीक्षण हो जाये। उसका उद्देश्य इस बात का पता लगाने के लिए सरसरी जांच करना है कि कोई कर्मचारी कागजों को अनुचित रूप से दबाये तो नहीं बैठा है। यह देखना उसका कर्तव्य है कि काम बकाया तो नहीं है। गवर्नर नुन्न पंजीयित किये जाते हैं और यह आवश्यक संदर्भ तथा अपेक्षित टीप और स्पष्टीकरण माहित यथाशीघ्र प्रस्तुत किये जाते हैं।

कर्तिक वजट अनुमान, नये व्यय को अभ्याधिका, प्रविवरण, लेखन सामग्री संबंधी मांगपत्र, संक्षेप तथा विस्तृत आकस्मिक व्यय, वेतन तथा यात्रा भत्ता संबंधी देयक (विल), निवृत्ति वेतन के लिए आवेदन, वार्षिक स्थायना तथा अन्य कागज समय पर लौटाये या जारी किये जाते हैं। आकस्मिक व्यय पंजी और रोकड़ बही में सभी भुगतान सही तौर से दर्ज किये जाते हैं और उन पर नियमित रूप से संक्षिप्त हस्ताक्षर किये जाते हैं। भंडार पुस्तक और अन्य पंजियाँ ठीक प्रकार से रखें जाती हैं और फार्म तथा लेखन सामग्री को नियमों के अन्तर्गत उन्नित रूप से रिकार्ड किया जाता है। प्राप्ति कागजों को नियमानुसार नष्ट कर दिया जाता है और संहिता तथा नियमानुसार संशोधित की जाती है।

98] प्राचार्य मार्गदर्शिका

महाविद्यालय : वर्गीकरण, संगठन एवं पदवार कार्य

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के नोटि पत्र क्रमांक एफ. 8-64/83/का.प्र.सु./एक, दिनांक 26-2-1985 में मुख्य लिपिक के कार्यों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया हैः—

विषय.— मुख्य लिपिक (हैंड कल्क) के कार्य के प्रतिमान का निर्धारण।

मुख्य लिपिकों के कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित करने का प्रश्न कुछ असें से शासन के विचाराधीन था। इस संबंध में परोक्षण करने के पश्चात् शासन द्वारा मुख्य लिपिकों के कार्य के प्रतिमान एवं दायित्व निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैंः—


1. कार्यालय में आनेवाली डाक, अधिकारी (कार्यालय प्रमुख) द्वारा देखने के पश्चात् संबंधित कर्मचारी को अंकित करना।
2. कार्यालय में किसी कर्मचारी के अवकाश पर रहने पर, उसके कार्य की व्यवस्था करना।
3. कर्मचारियों के कार्य में तालमेल बनाये रखना।
4. पत्रों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना।
5. जटिल एवं महत्वपूर्ण प्रकरणों पर स्वयं टीप अंकित करना।
6. पूर्जतः गोपनीय प्रकरणों को स्वयं निपटाना व उन्हें अपने पास अलमारी में रखना।
7. कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप की इस दाष्ट से जांच करना कि टीप स्वयं-पूर्ण है और जहाँ आवश्यक हो, उन प्रकरणों में टीप देना।
8. आवक/जावक रजिस्टर की प्रत्येक माह में जांच करना एवं त्रुटि को दूर करवाना।
9. स्टेम्प अकाउन्ट रजिस्टर की प्रत्येक सप्ताह में जांच करना एवं को गई जाव के संबंध में अपने हस्ताक्षर रजिस्टर में अंकित करना तथा त्रुटि पाये जाने पर यथोचित कर्यवाही कर उसे दूर करवाना।
10. कार्यालयीन रिकार्ड व्यवस्थित रीति से रखवाना।
11. कार्यालय में सुव्यवस्था एवं अनुशासन बनाये रखना।
12. कार्यालय में समय पर उपस्थित न होनेवाले कर्मचारी की रिपोर्ट अपने अधिकारी को करना तथा ऐसे कर्मचारियों की भी रिपोर्ट, जो कार्यालयीन समय में अपने स्थान से अनुपस्थित रहते हैं, अपने अधिकारी को करना।
13. कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर नियंत्रण, मार्गदर्शन एवं सुपरवीजन करना।
14. कार्यालय प्रमुख (अधिकारी) द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना, करना।
15. ऐसी अद्यतन जानकारी अपने पास हमेशा रखना, जिनकी समय-समय पर जल्दत पड़ती है।

14(क) 2 लेखापाल : कार्य एवं दायित्व

[स्रोत : प्राचार्य दिग्दर्शिका, 1987 पृष्ठ 22]

■ लेखापाल कार्य

(1) लेखा शाखा का क्रियात्मक प्रभारी होता है।


PRINCIPAL
Govt. Kunj Bihari Choubey
Mahavidyalaya, Lal Bahadur Shastri
District - Rajnandgaon (C.G.)
Distt - Rajnandgaon (C.G.)

महाविद्यालय : वर्ग

(2) समग्र शासन विचारन भेद सम्बन्धित व आवितान र

(3) लेखापाल क सभी वाउर्ड अलेखों में

(4) मुख्यक आर लैम्फाटिक में

(5) लेखापाल गै वैश-नुक से और गोकुड़ लिपिक के जा रहे समर

(6) रसोट-कट्टों का मिलान कोषालय में

(7) लेखा शाखा का दायित्व

(8) अधिकारी/प्र

कर्तव्य।

14(क) 3 कैदि

[स्रोत : प्राच मूल

कैशियर लेर है। शासकीय तथा अंत दुप देयकों की भी काषालय में निर है तथा भुगतान कि जगता है कि लेखाप

कैशियर को है। प्राचार्य के द्वारा द्वारा प्राप्त तथा उस अंत भुगतान किए इन्हाशर कोगा। प्रत

ठन एवं पटवार कार्य प्राचार्य मार्गदर्शिका [99]

- (2) समग्र शासकीय सेवकों के बेतन, नियंत्रण प्रतिपूर्ति देयक, याचा भत्ता देयकों आदि को विभावत तैयार कर कोपालय से पारित करता है। तत्पश्चात् बैंक रे नगदीकरण के उपरात गम्भीरता व्यक्तियों को भुगतान करता है। नियंत्रित अवधि में वितरित न हो पाने पर अवृत्तात्म गाँश को कोपालय में बापस जमा करता है।
- (3) लेखापाल का कर्तव्य है कि वह शासकीय और अशासकीय कैश-बुक तथा उससे सम्बन्धित शभी वातचरों को व्यवस्थित रखने के साथ लेजर तथा लेखा सम्बन्धी अन्य रजिस्टरों एवं आलेखों को दिनाप्न सखे।
- (4) मासिक आय-व्यय पत्रक बनाना तथा कार्यालय/संस्था का वजट बनाते हुए नियंत्रित सम्यावधि में तैयार करना।
- (5) लेखापाल गोकड़ यहीं लिखेगा और गोकड़ यहीं के कैश बेलेन्स का कैशियर की डेली/एफ कैश-बुक से मिलान करेगा। लेखापाल का कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन गोकड़ का मिलान करे और गोकड़ में यदि कुछ कमी या अधिकता दृष्टिगोचर होती है तो उसकी जानकारी मुख्य लिपिक के माध्यम से प्राचार्य/अधिकारों को दे। इस प्रकार लेखापाल, कार्यालय में किये जा रहे समस्त गोकड़ व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है।
- (6) एयोट-कट्टों के प्राप्तणों में डेली-फी-कलेवशन (डी.एफ.सी.) रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों का मिलान करेगा और विद्यार्थी द्वारा जमा किए गये शुल्कों को नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा कोपालय में जमा करेगा।
- (7) लेखा शाखा के शभी आलेखों को दिनाप्न रखते हुए उन्हे आडिट-योग्य स्थिति में रखने का दायित्व लेखापाल का है।
- (8) अधिकारी/प्राचार्य एवं मुख्य लिपिक द्वारा आदेशित कर्यों को समय में पूरा करना लेखापाल का कर्तव्य है।

14(क)३ कैशियर (रोकड़िया)

[घोषित : प्राचार्य दिग्दर्शिका, 1987, कार्यालय प्रशासन, प्रबन्ध एवं कार्यपरिवर्ति, पृष्ठ 23
मूललेख]

कैशियर लेखापाल के अधीनस्थ होता है। वह गोकड़ के लिए सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। शासकीय तथा अशासकीय नियंत्रियों को एकत्र करने का कार्य कैशियर ही करता है। कोपालय में भेजे हुए देयकों की गाँश भी कैशियर ही लाता है। वह शासकीय तथा अशासकीय एकत्र की हुई नियंत्रियों कोपालय में नियमानुसार तुरन्त जमा करवाता है। कैशियर पारित गाँश का शीघ्र भुगतान करता है तथा भुगतान किए हुए वातनर्स को लेखापाल के सुपुर्द करता है और अन्य में वह यह सत्यापित करता है कि लेखापाल की कैश-बुक के अनुसार गोकड़ सही है।

कैशियर को शुल्क-लिपिक सहायता करता है। शुल्क-लिपिक छात्रों से फीस की वसूली करता है। प्राचार्य के द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को ही कैशियर/शुल्क-लिपिक का कार्य करना चाहिए। कैशियर द्वारा प्राप्त तथा उसके द्वारा भुगतान की गयी प्रत्येक गाँश को कल्पी गोकड़वही में लिखा जायेगा और भुगतान किए गए प्रत्येक बिल पर कैशियर 'मेरे द्वारा भुगतान किया गया' लिखकर अपने द्वारा रक्षणाप्राप्त C.G.C. हस्ताक्षर करेगा। प्रत्येक दिन का गोकड़ी व्यवहार समाप्त होने पर, कैशियर वसूल की गयी धनराशि

PRINCIPAL

Govt. P. School Bihar Chowkdey
Mahabubnagar, A. S. S. M. Naga
District Board of Secondary Education
Disam, Bihar, India

100] प्राचार्य मार्गदर्शिका

महाविद्यालय : वर्गांकरण, संगठन एवं पदवार कार्य तथा समस्त भुगतान किए गए वाउचर्स लेखापाल को सुपुर्द करेगा। कैशियर को प्राचार्य, रजिस्ट्रार, मुख्य लिपिक तथा लेखापाल द्वारा निर्देशित अन्य कार्य भी करना चाहिए।

■ कैशियर (रोकड़िया) के कार्य :

- (1) छोटे महाविद्यालय में सामान्यतः कैशियर का कार्य लेखापाल द्वारा ही सम्पादित किया जाता है। परन्तु बड़े महाविद्यालय में जहाँ कैशियर का पृथक पद स्वैकृत होता है वहाँ कैशियर, लेखापाल के अधीन रहकर उसके निर्देशन-नुसार कार्य करता है।
- (2) शासकीय एवं अशासकीय निधियों को एकत्र करने का कार्य कैशियर द्वारा किया जाता है, और एकत्रित रोकड़ को लेखापाल के माध्यम से यथाशीघ्र कोपालय में जमा करवाता है। वेतन आदि सभी प्रकार के देयकों की नगद राशि को कोपालय/बैंक से कैशियर द्वारा ही लाया जाना चाहिए। पारित राशि को संबंधित व्यक्ति को भुगतान करना तथा भुगतान किए गए वाउचरों को लेखापाल के सुपुर्द कर, यह सत्यापित करना कि कैशबुक के अनुसार रोकड़ सही है, कैशियर की जिम्मेदारी है।
- (3) विद्यार्थियों द्वारा जमा किए गए शुल्कों की राशि को कैशियर प्राप्त करता है और उसे वर्गीकृत अवस्था में रखता है।
- (4) कैशियर द्वारा प्राप्त और उसके द्वारा भुगतान की गयी प्रत्येक राशि को कन्फ्री रोकड़-बहो में लिखा जायेगा और भुगतान किये गये प्रत्येक बिल में 'पेड वाई मी' (मेरे द्वारा भुगतान किया गया) लिखकर अपने हस्ताक्षर करेगा।
- (5) प्रत्येक दिन का रोकड़ी-व्यवहार समाप्त होने पर कैशियर द्वारा बसूल/प्राप्त वी गयी धनराशि तथा समस्त भुगतान किये गये वाउचरों को लेखापाल को सौप दिया जायेगा।
- (6) कैशियर को प्राचार्य, रजिस्ट्रार, मुख्य लिपिक तथा लेखापाल द्वारा आदेशित अन्य कार्य भी करना चाहिए।

सामान्य प्रशासन विभाग

निम्न श्रेणी लिपिक का पदनाम परिवर्तन करने संबंधी

गज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में प्रचलित पदनाम 'निम्न श्रेणी लिपिक' के स्थान पर परिवर्तित पदनाम 'लिपिक' रखा जाये। इस पदनाम परिवर्तन के बाद भी इनका वेतनमान पूर्ववत रहेगा।

2. समस्त विभाग संबंधित नियमों में उपरोक्तानुसार पदनाम संशोधित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

[सा.प्र.वि. क्र. सी. 3-2/96/3/एक, दिनांक 13-2-1996]

सामान्य प्रशासन विभाग

लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन करने के संबंध में

गज्य शासन के आदेश क्रमांक सी. 3-2/96/3/एक, दिनांक 13-2-1996 द्वारा निम्न श्रेणी लिपिक के स्थान पर परिवर्तित पदनाम 'लिपिक' किया गया है। उक्त आदेश को अधिक्रमित करते हुए गज्य शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के पदनाम में परिवर्तन किया जाये। अतः वर्तमान में 'सहायक' 'उच्च श्रेणी लिपिक' एवं 'लिपिक' के स्थान पर निम्नानुसार परिवर्तित पदनाम रखा जाये :—

महाविद्यालय : वा
वर्तमान प
सहायक
उच्च श्रेणी
लिपिक
उपरोक्तानुर

जिले में

संदर्भ.— ३

संदर्भ भूत पत्र
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी
आधिकारिक करने के
1997 में उक्त आदे

14(ख) अति
प्रयोगशाला कर्मचा
विज्ञान विधि
प्रयोगशाला तकनीशि
होने हैं।

विभाग विशेष
रूप से उनके कार्य ।

14(ख)(1) प्रयोग
[प्राचार्य दिग्दर्शिका,
(6) प्रयोगशाला

निर्देशन में क
यो आवश्यक
तकनीशियन ।
अग्र हेतु निवि
वनाकर विभाग
में प्रविष्ट करें
तकनीशियन ।
प्रयोगशाला त


PRINCIPAL
Govt. Kunj Bihari Choudhury
Mahavidyalaya, Lal Bahadur Shastri
Distt.: Rajnandgaon (C.G.)

गठन एवं पदवार कार्य
को प्राचार्य, रजिस्टर,

‘सम्पादित किया जाता
होता है वहाँ कैशियर,

शब्द द्वारा किया जाता
रय में जमा करवाता है।
क से कैशियर द्वारा ही
रना तथा भुगतान किए
शब्द के अनुसार रोकड़

ता है और उसे वर्गीकृत
जे कल्पी रोकड़-वही में
रि’ (मेरे द्वारा भुगतान

प्राप्त की गयी धनराशि
या जायेगा।
आदेश अन्य कार्य भी

वैधी

मन में प्रबलित पदनाम
॥ इस पदनाम परिवर्तन

घित करने, जो कार्यवाही

, दिनांक 13-2-1996]

; संबंध में

1-1996 द्वारा निम्न ब्रेणी
श को अधिकृत विदेशी
र वर्गीय कर्मचारियों संघर्षण के लिए उत्तराधिकारी
लिपिक’ एवं ‘लिपिक’।

PRINCIPAL GOVT. PRINCIPAL Houbey
Govt. Primary School Chandan Nagar
Rajnandgaon (C.G.)

प्राचार्यालय : वर्गीकरण, संगठन एवं पदवार कार्य

वर्तमान पदनाम

सहायक

उच्च ब्रेणी लिपिक

लिपिक

उपरोक्तानुसार संबंधित भरती नियमों में पदनाम संशोधन करने की कार्यवाही मुनिशित करें।

परिवर्तित पदनाम

सहायक ग्रेड — एक

सहायक ग्रेड — दो

सहायक ग्रेड — तीन

[सा. प्र. वि. क्र. सी. 3-2/96/3/एक, दिनांक 18-3-1996]

सामान्य प्रशासन विभाग

जिले में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ ब्रेणी कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक
कार्यवाही के अधिकारों का प्रत्यायोजन।

संदर्भ.— इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक सी. 6-7/96/3/1, दिनांक 23-5-1996।

सदर्भित पर का क्रपया अवलोकन करें जिसके द्वारा कलेक्टरों को उनके जिलों में कार्यरत
तृतीय एवं चतुर्थ ब्रेणी कर्मचारियों (मुलिसकार्मियों को छोड़कर) को निलम्बित करने एवं लम्ब शास्त्र
अधिरोपित करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं। ‘मध्यप्रदेश राजपत्र’, दिनांक 10 जनवरी,
1997 में उक्त आदेश प्रकाशित हुआ है।

[सा. प्र. वि. क्रमांक सी. 6-7/96/3/1, दिनांक 31-3-1997]

14(ख) अलिपिकीय कर्मचारी (विभागीय कार्य विशेषज्ञ)

प्रयोगशाला कर्मचारी—

विज्ञान विषयों वाले विद्यालयों में प्रयोगशाला में प्रयोगिक कार्यों के सम्पादन के लिए
प्रयोगशाला तकनीशियन (तृतीय ब्रेणी) एवं प्रयोगशाला परिचारक (चतुर्थ ब्रेणी) के पद निर्मित
होते हैं।

विभाग विशेषज्ञ की आवश्यकतानुसार वे प्रयोगशाला कर्मचारी, कार्य करते हैं परन्तु सामान्य
रूप से उनके कार्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित हैं:—

14(ख)(१) प्रयोगशाला तकनीशियन

[प्राचार्य दिग्दर्शिका, 1987 पृ. 23 का मूल पाठ नीचे उदारित]

(6) प्रयोगशाला तकनीशियन : प्रयोगशाला तकनीशियन प्रयोगशालाओं में विभागाध्यक्षों के
निर्देशन में कार्य करता है। इसका यह कर्तव्य है कि प्रयोगशाला में कार्य करने वाले छात्रों
को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराये तथा प्रयोग के बाद उनसे वह वापस ले। प्रयोगशाला
तकनीशियन अपने विभागाध्यक्ष के निर्देशनानुसार अपने विभाग के लिए आवश्यक सामग्री के
क्रम हेतु निवादाएं आमन्त्रित करेगा तथा प्राप्त निविदाओं के आधार पर तुलनात्मक चार्ट
बनाकर विभागाध्यक्ष के निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करेगा। सामग्री प्राप्त होने पर उसे स्टॉक रजिस्टर
में प्रवर्ष करेगा। इस सामग्री के रख-रखाव एवं समुचित देखभाल का दायित्व प्रयोगशाला
तकनीशियन का है।

प्रयोगशाला तकनीशियन को उपर्युक्त कार्यों के अंतिरिक्त प्राचार्य रजिस्टर तथा मुख्य
लिपिक द्वारा आदेशित कार्य भी करना चाहिए।

102] प्राचार्य मार्गदर्शिका

प्रयोगशाला तकनीशियन के सामान्य कार्य—

- (1) प्रयोगशाला का प्रभारी होता है और प्रभारी सहायक प्राध्यापक/प्राध्यापक के निर्देशन में कार्य करता है।
- (2) उसका कर्तव्य है कि प्रयोगशाला में कार्य करने वाले विद्यार्थियों को आवश्यक उपकरण, रसायन आदि प्रयोग-सामग्री इश्यू के तथा प्रयोग के उपर्युक्त अक्षय सामग्री वापस ले।
- (3) प्रभारी शिक्षक के मार्गदर्शन में, अपने विभाग के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करने देने कोटेशन आदि आमंत्रित करे तथा कोटेशन प्राप्त होने पर क्रय नियमों के तहत, तुलनात्मक चार्ट तैयार कर उसमें आवश्यक औपचारकताएं पूरी कर आटेश-पत्र आट विभाग प्रमुख के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करें।
- (4) सामग्री प्राप्त होने पर स्टॉक-रजिस्टर में प्रविष्ट और उनके रख-रखाव तथा उपयोग की यथोचित व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है।
- (5) स्टॉक का भीतिक सत्यापन तथा अपलेखन कार्य करना भी प्रयोगशाला तकनीशियन की कार्य-परिधि में आता है।
- (6) प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला परिचारक से आवश्यक कार्य लेता है और प्राचार्य से निर्देश मिलने पर, विभाग प्रमुख की जानकारी में, महाविद्यालय के हित में अन्य कार्य करने को तत्पर रहता है।
- (7) प्राचार्यिक परिषद्धाओं के सम्पादन में भी प्रयोगशाला तकनीशियन तथा परिचारक दोनों ही तत्परता, सतर्कता और गोपनीयता से अपना कार्य पूरा करते हैं।
- (8) प्रयोगशाला तकनीशियन को उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त प्राचार्य, रजिस्ट्रार तथा सहायक (मुख्य लिपिक) द्वारा निर्देशित कार्य भी करना चाहिए।

15] चतुर्थ श्रेणी पद^० एवं उनके कार्य

कार्यालय, महाविद्यालय भवन, परिसर, प्रयोगशाला, ग्रन्थालय एवं क्रीड़ा एवं खेल-कूट सुविधाओं की सफाई, सुरक्षा और रख-रखाव के लिए नियुक्त, विभिन्न पदनामों से जाने वाले शासकीय सेवकों के सम्बन्ध में जानकारी संकलित की गई है।

इनमें भूत्य, दफ्तरी, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, वाटरमेन, फराश एवं अन्य कर्मचारी इस कोटि के शासकीय सेवक होते हैं।

कार्यालय अथवा विभाग के, भूत्योन्यत (Menial) अथवा शारीरिक श्रम से सम्बन्धित धरातलीय कार्य करना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सम्मिलित होता है। कार्यालयों की साफ-सफाई, कार्यालयीन भूत्य सेवा, जिसमें गरेश बालक, दूत सेवा कार्यालयीन सामग्रियों एवं सम्पत्ति की सुरक्षा और सतर्कता, और वे सभी कार्य जो कार्यालयीन कार्यों के संचालन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हों, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से अपेक्षित होते हैं।

① चतुर्थ श्रेणी के पदों की सूची के लिए टेलीपुणे—

- (महाचार्य अदेशों एवं नियमों का संकलन 1986 पृष्ठ 367-376)
- सप्तप्रदेश चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम (महाविद्यालयीन राखा) 1977, अनुसूची क्रमांक । (ब) शिल्प सम्बन्धी)

महाविद्यालय : व

चतुर्थ श्रेणी होती है। कर्मचारी के कर्मचारी बड़ी र निष्ठा और ईमानद

कार्यालय के भूत्यों की अधिकारियों एवं अ कार्य का करने के देने की शक्ति, मान के आत्मिक सम्मान

15(1) दफ्तरी०

यह लिपिक (Pre S.S.C.) स्तर में भी सचि लेता है आवक-जावक सदृश के बीच पदोन्नति आवश्यकता को करना और उनकी फोटो पद एक पढ़-तिल का कार्य रहता है।


15(1) भूत्य

[स्रोत : प्रा कर्तव्य है। वह महारि 500.00 रुपये से उ लिपिक से विचार-विए एवं दापत्तियों का नियम

महाविद्यालय प्राचार्य को मुख्य लिया और उन पर सतत नि-

भूत्यों के कार्यालयता न बरते।

भूत्य, संस्था अंदोशत किये जाए।



Govt. Kunj-Bihari College
MahaVidyalaya, Patna, Bihar, India
Distt. Patna, Bihar, India

गठन एवं पदबार कार्य
के निर्देशन में कार्य
के आवश्यक उपकरण,
सामग्री वापस से।
रुपयोग के तहत, तुलनात्मक
आदि विभाग प्रमुख के
खाल तथा उपयोग की

शाला तकनीशियन की
लेता है और प्राचार्य में
तहत में अन्य कार्य करने
तथा परिनामक दोनों ही
रजिस्ट्रार तथा सहायक

व क्रीड़ा एवं खेल-कूट
पदनामों से जाने वाले
शि एवं अन्य कर्मचारी
रिक त्रम से सम्बन्धित
होता है। कार्यालयों की
प्रौद्योगिक सामग्रियों एवं
के संचालन में अप्रत्यक्ष

महाविद्यालय : वर्गकारण, संगठन एवं पदबार कार्य

प्राचार्य पार्वदर्शिका [103]

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कार्यों में किसी प्रशिक्षण चातुर्य या दुनर की आवश्यकता नहीं होती है। कर्मचारी को अपने कर्तव्य का भान और कार्य करने की इच्छा शक्ति होने पर, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी वही सहजता के साथ उन्हें सौंपा गया कार्य पूरा कर देते हैं। कर्मचारी में, कार्य के प्रति निष्ठा और ईमानदारी, उनके कार्य को संतोषपूर्ण स्तर तक पूरा करने में सहायक होते हैं।

कार्यालय के अधिकारी एवं कार्यालयीय भूत्याक, चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों से वे सभी भूत्यीय कार्यों की अपेक्षा करते हैं जो कार्यालयीन एवं विभागीय कार्यों के निष्पादन में सहायक होते। अधिकारियों एवं अन्य सहायकों से यह अपेक्षा यही है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को किसी कार्य को करने के लिए जब निर्देश देवें, तब इस विशेष विन्दु का अवश्य ध्यान रखें कि उनके निर्देश देने की शैली, मानव शिक्षानाम्रों के अनुकूल हो और इस प्रकार न दिए जायें कि सामने के व्यक्ति के आत्मिक सम्मान को ठेस पहुंचे।

15(1) दफतरी [Daftary]

यह लिपिक एवं भूत्य के बीच का पट (कर्मचारी) होता है। दफतरी सामान्यतः माध्यमिक (Pre S.S.C.) स्तर का पढ़ा व्यक्ति होता है जो भूत्य के काम के साथ कुछ लिखा-पढ़ी के कार्यों में भी रुचि लेता है। यह ऐसे लिपिकों की जगह काम करने की तत्पर रहता है जो रिकार्ड अथवा आवक-जावक सदृश 'सुखे' अनुभागों में नहीं रखना चाहता है। दफतरी का पट भूत्य एवं लिपिक के बीच पदोन्नति के लिए एक अतिरिक्त कड़ी की तरह होता है और लिपिक के पढ़ों की आवश्यकता को कम करता है। रिकार्ड रखना अथवा अभिलेखों को वर्गीकृत ढंग से व्यवस्थित करना और उनकी सिलाई बदला (Routine) तथा यांत्रिक (Mechanical) कार्य हैं और दफतरी का पट एक पह-लिखे तथा उत्तराद्वारा भूत्य के लिये लिपिक के पट पर पहुंचने के लिए एक सीढ़ी का कार्य करता है।

15(1) भूत्य

[स्रोत : प्राचार्य दिग्दर्शिका 1987, प. 24, पैरा 5]

"प्राचार्य, रजिस्ट्रार, मुख्य लिपिक, लेखापाल आदि द्वारा निर्देशित कार्य करना भूत्य का कर्तव्य है। वह महाविद्यालय की सफाई, पानी की व्यवस्था, डाक लाना और ले जाना, कोषालय से 500.00 रुपये से कम राशि लाना इत्यादि भी कार्य करता है। प्राचार्य को, रजिस्ट्रार तथा मुख्य लिपिक से विचार-विमर्श कर भूत्यों के कार्यों का भी विभाजन करना चाहिए, जिससे उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्धारण आसानी से किया जा सके।"

महाविद्यालय एवं कार्यालय के विभिन्न कार्यों के निर्धारित सम्मान के लिए आवश्यक है कि प्राचार्य को मुख्य लिपिक से विचार-विमर्श कर भूत्यों के बीच कार्यों का विभाजन कर देना चाहिए और उन पर सतत नियंत्रण एवं नियोक्षण करते रहना चाहिए।

भूत्यों के कार्यों पर प्राचार्य की सोधी नजर हो ताकि वे अपने कार्यों में किसी प्रकार की शोषणता न घरते।

भूत्य, संस्था के हित में वे सभी भूत्यीय कार्य को उपर्युक्त विभागों द्वारा नियंत्रण किये जाएं।

PRINCIPAL
Govt. Kunj Bihari Choubey
Mahavidyalaya, Lal Bahadur Shastri Nagar
Distt - Raigarh (C.G.)

104] प्राचार्य मार्गदर्शिका

महाविद्यालय : वर्गकरण, संगठन एवं यदवार कार्य

15(3) सफाई कर्मचारी (स्वीपर)

यह पद भी कार्यालय की स्थापना में स्वीकृत होता है। सफाई कर्मचारी संस्था/कार्यालय के शीघ्र कश्तों की स्वच्छता के साथ, भवन तथा परिसर की सफाई के लिए भी जिम्मेदार होता है। (अध्ययन-अध्यापन के लिए, विद्यालय पारसर के साथ विद्यालय भवन एवं कश्तों का बातावरण स्वच्छ होना आवश्यक है। इस पर भी प्राचार्य का विशेष ध्यान रहे।) इसकी निगरानी के लिए वे मुख्य लिपिक को सतत निगरानी करें। प्राचार्य/अधिकारी का प्रयास हो कि छात्र, छात्राओं एवं शिक्षकों के लिए अलग-अलग शीघ्र कश्तों की स्थायी/अस्थायी व्यवस्था दी जाये।

15(4) चौकीदार

विद्यालय भवन एवं सम्पत्ति की विशेषकर गविकालीन सुरक्षा के लिए, चौकीदार का पद निर्मित होता है। चौकीदार से सतर्कता के साथ विश्वसनीयता की अपेक्षा भी की जाती है।

चौकीदार द्वारा उसके कार्य प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए टार्च, लालटेन, लाठी, भाला, सीटी आदि भी प्रदान किये जाएं।

अधिकारी/प्राचार्य, चौकीदार के कार्य पर सतत निगरानी रखने के लिए मुख्य लिपिक को निर्देशित करें और स्वयं भी कभी-कभी शृंग में अन्वानक संस्था/कार्यालय में आकर सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर सकते हैं।

15(5) (i) फरारी- भूत्य स्तर के ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सामान्य कार्य फर्श की सफाई आदि होता है। [देखिए आयुक्त, उच्च शिक्षा का जाप क्रमांक 1639/आ.उ.शि./अरसा.स्था./93, दिनांक 20-4-1993 (आदेश आगे उद्दरित)]

15(6) प्रयोगशाला परिचारक के कार्य

- (1) प्रयोगशाला का चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होता है तथा विभाग प्रमुख और प्रयोगशाला तकनीशियन के निर्देशानुसार विभाग के विभिन्न कार्य करता है।
- (2) अपने विज्ञान विभाग को समद पर खोलना, बन्द करना और उसकी सफाई एवं सुरक्षा उसके कार्य-शेत्र में आते हैं।

“प्रयोगशाला परिचारक : प्रयोगशालाओं में प्रयोगशाला परिचारक विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करता है। वह प्रयोगशाला के साथ-साथ प्रयोगशाला के सामान की साफ-सफाई भी करता है। उसे विभागाध्यक्ष, प्राचार्य तथा मुख्य लिपिक द्वारा निर्देशित कर्य भी करना चाहिए।”

[स्रोत : प्राचार्य दिग्दर्शिका, 1987, पृष्ठ 23]

आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक 1639/आ.उ.शि./अरसा.स्था./93,

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल, 1993.

विषय:- प्रयोगशाला परिचारकों के कर्तव्यों का निर्धारण।

संदर्भ:- सचालनालय का पत्र क्रमांक 1757/2116/वीस/मशिस/स्था./दिनांक 18 मई, 1978।

संदर्भित जाप दिनांक 18 मई 1978 के साथ प्रयोगशाला परिचारकों के जो कर्तव्य बताये गये हैं उसके आयटम क्रमांक 4 में प्रयोगशाला के अन्दर सफाई का दायित्व भी प्रयोगशाला


K. P. CHAUDHARY
GOVT. OF UTTAR PRADESH, MUNICIPAL BOARD, MANJEDABABA, BAHADUR NAGAR,
DISTT. RAJNANDGAON (C.G.)

महाविद्यालय :

प्राचार्यकार्य के रूपों को सम्बद्ध महाविद्यालयों में समान्यतः फरारी विद्यारक ही यह

2. राज्य में चतुर्थ श्रेणी का पद निर्देशित करने के लिए वे मुख्य लिपिक को सतत निगरानी रखने के लिए निर्देशित करें।

16 आकर्षियक

17 कार्यालयी:

[स्रोत : प्राचार्य-विद्या

द्वारा प्रारम्भ से अन्त के द्वारा किए हुए कार्यों द्वारा प्राचार्य ने किए तो उसे उससे भी प्र

महाविद्यालय जाप तैयार करें जिस हो। सर्वप्रथम कार्यालयीन स्टाफ में जाना है किन्तु यह यहै कि एक कर्मचारी उपलब्ध संख्या पर 3 में कूल महत्वपूर्ण पक्षीयों के वितरण एवं सधूमता को परखु है

एक सामान्य इससे भिन्न भी हो सकता है ऐसे पद और कार्य प्रकार वर्म नहीं करें कार्यालयीन कार्यों के

महाविद्यालय/ चूंकि पूर्ति की व्यवस्था कर अद्यतन बनाये रहें।

महाविद्यालय/ चूंकि पूर्ति की व्यवस्था कर अद्यतन बनाये रहें।

संगठन एवं पदवार कार्य

मैचारे संस्था/कार्यालय के नए भोजिमेदार होता है। इन एवं कक्षों का वातावरण निगरानी के लिए बेमुख्य ज़ प्रयास हो कि लाव, नवरथा की जाये।

लिए, चौकीदार का पद भी की जाती है।
लालटेन, लाटी, भाला,

नए मुख्य लिपिक को भाकर सुरक्षा व्यवस्था
न्य कार्य फर्श की
आ.उ.पी./अरसा,

और प्रयोगशाला

एवं सुरक्षा उसके

विभागाध्यक्ष के
साफ-सफाई भी
कर्त्रु चाहिए।"

प्रैल, 1993.

क 18 मई,

निव्व बताये PRINCIPAL

Govt. Kunj Bihari Choubey
Mahavidyalaya, Lal Bahadur Naga
Distt.- Rajnandgaon (C.G.)

महाविद्यालय :

परिचारकों को

फर्श की सफाई प्रयोगशाला को करना चाहिए या नहीं। स्थिति यह है कि वहाँ महाविद्यालयों में चतुर्थ ब्रेणी का पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध है और वहाँ पर फर्श की सफाई सामान्यतः फर्श करते हैं। वहाँ से स्थानों पर फर्श की कमी होने के कारण प्रयोगशाला परिचारक ही यह कार्य कर लेते हैं।

1 कार्य

यह मुद्रा उड़ाया गया है कि प्रयोगशाला के अन्दर को करना चाहिए या नहीं। स्थिति यह है कि वहाँ महाविद्यालयों में चतुर्थ ब्रेणी का पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध है और वहाँ पर फर्श की सफाई परिचारक ही यह कार्य कर लेते हैं।

प्राचार्य मार्गदर्शि

2. राज्य में छोटे-छोटे स्थानों पर भी महाविद्यालय संचालित है किन्तु कई महाविद्यालयों में चतुर्थ ब्रेणी का पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं है। ऐसे महाविद्यालयों में प्रयोगशाला की सम्पूर्ण सफाई का दायित्व प्रयोगशाला परिचारक का ही है।

- [16] आकस्मिक निधि से नियुक्त कर्मचारी और उनके कार्य
- [17] कार्यालयीन स्टाफ के बीच कार्य-विभाजन/वितरण

[स्रोत : प्राचार्य दिग्दर्शिका, 1987, पृष्ठ 25, पे. 2]

"कार्य-विभाजन के समय प्राचार्य को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसे एक ही व्यक्ति के द्वारा प्रारम्भ से अन्त तक कोई कार्य (लेखा सम्बन्धी) नहीं करना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो, एक के द्वारा किए हुए कार्य की जीव व्यवयेव दूसरे कर्मचारों के द्वारा ही सकं ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। यदि प्राचार्य ने किसी शैक्षणिक स्टाफ को ध्यानांश के लिए अथवा स्टोर्स के लिए प्रभारी बनाया है तो उसे उससे भी प्रतिभूति (सक्यूरिटी) जमा करवानी चाहिए।"

महाविद्यालयीन कार्यों को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए प्राचार्य कार्य वितरण का एक ज्ञाप तैयार करें जिसमें प्रत्येक अधीनस्थ स्टाफ का नाम एवं उसे सौंपा गया दायित्व दर्शाया गया हो। सर्वप्रथम कार्यालय में उपलब्ध स्टाफ के बीच शाखाओं का कार्य विभिन्न सौंप दें। स्थानान्तर: कार्यालयीन स्टाफ में कार्य वितरण उनकी विविधता, अनुभव, कार्यालयीन आदि के आधार पर किया जाता है किन्तु यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कार्य का योजना न्यायपूर्ण हो। आदर्श स्थिति यह होती है कि एक कर्मचारी के पास एक ही शाखा का कार्यभार हो, परन्तु कार्य वितरण कर्मचारियों की उपलब्ध संख्या पर आधिक निर्भर होता है। ऐसा सम्भव हो सकता है कि कार्यालय (एवं महाविद्यालय) में कुछ महत्वपूर्ण पद रिक्त हो और उपलब्ध स्टाफ नवा और अनुभवहीन हों। ऐसी स्थिति में ही कार्यों के वितरण एवं सम्पादन के निर्णय लेने के माध्यम स्वयं का अनुभव, सतर्कता और प्रशासनिक स्थिति की परख होती है।

एक सामान्य कार्यालय का पूर्व विवरण, आधारभूत एवं न्यूनतम दोन्हा है परन्तु वास्तविकता इससे भिन्न भी हो सकती है। रिक्त पदों के कारण कार्यालय में मानव तत्वों की कमी यही रहती है। रिक्त पद और कार्य की आधिकता, कार्यालय और कार्यालय प्रमुख के उत्तरदायित्व को किसी भी प्रक्रम कम नहीं करते। रिक्त पद और भवन, व्याप, यव या अन्य सामग्रियों की कमी में भी कार्यालयीन कार्यों को समय में पूरा करना एक बाध्यता होती है।

महाविद्यालय/कार्यालय की कार्यपद्धति को सुनान और समय बनाने और अतिरिक्त आवश्यकताओं के पूर्ति को व्यवस्था करने की दृष्टि से इस कार्य वितरण आदेश/ज्ञाप तथा अनुभवहीन स्टाफ के लिए एक अद्यतन बनाये रखना चाहिए।

Govt. Kunj Bihari Choubey
PRINCIPAL-Punjabhi

Mahavidyalaya, Lal Bahadur Naga
Distt.- Rajnandgaon (C.G.)

महाविद्यालय के कार्यालयीन स्टाफ में कार्य विभाजन का अदेश असाधारण रूप से दिया जा रहा है (देखिए : प्रपत्र क्र. 4))